सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 04, शुक्रवार, *शाके* 1945-फरवरी 23, 2024 *Phalguna 04 Friday , Saka 1945- February 23 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

अधिसूचना

उदयपुर, फरवरी 07, 2024

संख्या F.32(B)(1)(After Policy)EX/L/2024-25-03000-part-1/556 :-राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2024 दिनांक 01 फरवरी, 2024 के द्वारा आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 3.7.2 के प्रावधानुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों केतहत ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा /राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की निम्नांकित श्रेणियों का वर्ष 2024-25 के लिये थोक निर्गम मूल्य का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क्र.सं	ENA निर्मित मदिरा की किस्म	पव्वों (180 एम.एल.) के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रूपये में)
1	देशी मदिरा 40 यूपी- ग्लास	620
2	देशी मदिरा 40 यूपी- पेट	560
3	देशी मदिरा 40 यूपी- एसेप्टिक पैक	595
4	देशी मदिरा 50 यूपी- पेट	518
5	देशी मदिरा 50 यूपी- एसेप्टिक पैक	520
6	देशी मदिरा 60 यूपी- पेट	370
7	देशी मदिरा 60 यूपी- एसेप्टिक पैक	370
8	राजस्थान निर्मित मदिरा, 25 यूपी- ग्लास	730
9	राजस्थान निर्मित मदिरा, 25 यूपी- पेट	650
10	राजस्थान निर्मित मदिरा 25 यूपी-एसेप्टिक पैक	710

- उक्त अधिसूचना 01.04.2024 से प्रभावी रहेगी।

ओम कसेरा,

आबकारी आयुक्त,राजस्थान।